हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की प्रथम वि"ोष बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को अपराह्न 3:00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– आचार्य डी0के0"ार्मा, अधिष्ठाता भौतिक–विज्ञान संकाय

3– डॉ0 (श्रीमती) उमा वर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोट"ोरा

4– आचार्य जे.बी. नड्डा, वि"वविद्यालय व्यवसाय स्कूल

5– श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–"िाक्षक कर्मचारी

6– डॉ0 (श्रीमती)"यामा जो"ाी, सह–आचार्य

7– डॉ0 पंकज ललित, कुलसचिव –सदस्य–सचिव

<u>**मद संख्या–1:**</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की प्रथम वि"ोष बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्य"ाालाएं आयोजित की गईं:–

दिनांक 5 अप्रैल, 2017 को वि"वविद्यालय सभागार में संस्कृत विभाग एवं अनौपचारिक संस्कृत "िाक्षण केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- दिनांक 7 अप्रैल, 2017 को कुलपति–टी–20 क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 8 अप्रैल, 2017 को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2017 को लखनऊ में एक वि"ोष व्याख्यान माला के दौरान वि"ोष व्याख्यान देते हुए हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

- दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को जयपुर में एक वि"ोष व्याख्यान माला के अंतर्गत व्याख्यान दिया।

- दिनांक 17–4–2017 को **कुलपति टी–20 क्रिकेट प्रतियोगिता** के समापन समारोह में भाग लिया जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह में हिमाचल प्रदे"ा के पुलिस महानिदे"ाक श्री संजय कुमार जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के अध्यादे"ा, परिनियम एवं अधिनियम 1970 के खण्ड-I व खण्ड –II का अंग्रेजी भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद / रूपांतरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने वि"वविद्यालय के अध्यादे"ा खण्ड-I व खण्ड –II तथा अधिनियम / परिनियम, 1970 के हिन्दी अनुवाद / रूपांतरण को वि"वविद्यालय कोर्ट से अनुमोदन के उपरांत इस उल्लेख के साथ मुद्रित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की कि यह वि"वविद्यालय के अध्यादे"ा, अधिनियम / परिनियम का मात्र अनुवाद है तथा किसी विवाद (dispute) की स्थिति में केवल अंग्रेजी अनुवाद (English version) वैध माना जाएगा। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि वि"वविद्यालय के अध्यादे"ा तथा अधिनियम / परिनियम की कुछ प्रतियां मुद्रित करवाने के प"चात् इसके

हिन्दी संस्करण को परम्परागत कानूनी वैधता प्रदान करने हेतु प्रदे"ा सरकार के विधि विभाग की विधीक्षा हेतु प्रेषित किया जाये।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने वि"वविद्यालय के अध्यादे"ा तथा अधिनियम/परिनियम के अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद/रूपांतरण करने के लिए पूर्व व वर्तमान गठित समितियों के सदस्यों तथा इसमें सम्मिलित अन्य "िाक्षक व गैर–"िाक्षक कर्मचारियों के सहयोग व सहभागिता के लिए धन्यवाद् ज्ञापित किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विभिन्न विषयों में जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य से सह–आचार्य व सह–आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित चयन समिति(यों) की सिफारि"ों प्रस्तुत करने बारे।

.....

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशें को परिषद में प्रस्तुत किया सिफारिशें निम्न प्रकार से हैः–

1. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य (विधि विभाग) हि.प्र. क्षेत्रिय केन्द्र धर्म"ाला

डा. धर्म प्रका"ा वर्मा, सह–आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 06.03.2016 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

2. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य (राजनीति विज्ञान विभाग):

डा. हरी"ा कुमार ठाकुर, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 28.01.2016 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

3. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य (राजनीति विज्ञान विभाग) इक्डोलः

डा. भावना देवी, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01.12.2016 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

4. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (इतिहास विभाग):

निम्नलिखित "िाक्षको को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत उनके नाम के आगे द"ार्इ गई तिथि से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गईः–

1. डा. बालकृष्ण "िावराम, सह आचार्य 28.01.2016
2. डा. अमृत वर्षा गांधी, सह आचार्य 28.02.2016

5. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (एम.टी.ए. विभाग):

डा. चन्द्र मोहन, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 22.07.2016 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

6. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (रसायन विज्ञान विभाग):

निम्नलिखित ि"ाक्षको को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत उनके नाम के आगे द"ार्इ गई तिथि से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई:–

1. डा. शि"ा बाला कालिया, सह आचार्य(Inorganic) 01.07.2016
2. डा. सुर्वचा चौहान, सह आचार्य (Physical Chemistry) 12.07.2016
3. डा. बलजीत सिंह, सह आचार्य (Organic) 25.05.2017

7. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (वाणिज्य विभाग):

डा. राज कुमार सिंह, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 28.01.2016 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

8. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत सह–आचार्य, (एम.टी.ए. विभाग):

डा. सोनिया खान, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01.07.2012 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

मद संख्या–4: आचार्य कमलजीत सिंह, विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता विधि द्वारा उपभोग किए गए असाधारण अवका"ा (विना वेतन के) को लोकहित में परिवर्तित करने एवं तदानुसार वित्तीय लाभ प्रदान के लिए किए गए निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरांत डॉ कमलजीत सिंह, व डॉ0 सुनील देष्टा, आचार्य विधि विभाग के पक्ष में क्रम"ाः दिनांक 28–7–2006 से 31–7–2008 तथा दिनांक 8–6–2006 से 7–6–2009 तक तत्कालीन विद्यमान अध्यादे"ा 36.4(d) में निहित परन्तुक–2 के अंतर्गत असाधारण अवका"ा (विना वेतन के) पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। हालांकि इस सम्बन्ध में आदे"ा जारी करने से पूर्व वि"वविद्यालय कानूनी सलाहकार से मामले में विधिक राय लेने का निर्णय लिया गया ताकि इसमें कोई कानूनी पेचीदगी न आए।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने अध्यादे"ा 36.4(d) में असाधारण अवका"ा (विना वेतन के) के निहित प्रावधान के अंतर्गत ऐसे अन्य समरूप मामलों का डॉ0 सोनिया खान के मामले में माननीय प्र"ाासनिक प्राधिकरण द्वारा याचिका संख्या–401/2016 में दिनांक 16–12–2016 को पारित आदे"ाों के आलोक में परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया:–

1–	आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति	–अध्यक्ष
2–	आचार्य जे.बी.नड्डा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद्	–सदस्य
3–	आचार्य डी.के. शर्मा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद्	–सदस्य
4–	उप कुलसचिव (सा0प्र0)	–संयोजक

उपरोक्त समिति असाधारण अवका"ा (विना वेतन के) हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण कर 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

.....

<u>यथा–स्थान की गई चर्चा:</u>

सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने श्री जयपाल गुप्ता की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अधीन उनके सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के समय लगाई गई अग्नि"ामन प्र"ािक्षण की शर्त में छूट प्रदान करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि श्री जयपाल गुप्ता सहायक सुरक्षा अधिकारी 31 मई, 2017 को वि"वविद्यालय की सेवाओं से सेवानिवृत हो रहे हैं अतः उनके सेवानिवृति की अल्प अवधि को मध्यनजर रखते हुए उन्हें उनकी पदोन्नति के समय लगाई गई उपरोक्त शर्त को पूर्व सहायक सुरक्षा अधिकारी की तर्ज पर छूट प्रदान की जाए।

इस पर कुलसचिव महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि श्री जयपाल गुप्ता को अग्नि"ामन प्र"ािक्षण देने हेतु मुख्य अग्नि"ामन अधिकारी से पत्राचार किया गया था जिस पर उन्होंने यह सूचित किया है कि वर्ष 2016–2017 के

लिए अग्नि"ामन प्रि"ाक्षण की अनुसूची (schedule) जारी की जा चुकी है इसलिए वर्ष 2016–2017 में अग्नि"ामन प्रि"ाक्षण दे पाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2017–2018 के लिए अग्नि"ामन प्रि"ाक्षण की नई अनूसूची अप्रैल, 2017 के उपरान्त जारी की जाएगी।

जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने श्री जयपाल गुप्ता की मई 2017 में सेवानिवृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के समय लगाई गई अग्नि"ामन प्रि"ाक्षण की शर्त में छूट प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –

(आचार्य ए.डी.एन. वाजपेयी)
कुलपति / सभापति

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की द्वितीय आपातकालीन बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को दोपहर 12:00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– आचार्य एस0एस0 चौहान, अधिष्ठाता, समाज–विज्ञान संकाय

3– आचार्य डी0के0"ार्मा, अधिष्ठाता भौतिक–विज्ञान संकाय

4– डॉ0 (श्रीमती) उमा वर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोट"ारा

5– आचार्य जे.बी. नड्डा, वि"वविद्यालय व्यवसाय स्कूल

6– श्री चन्द्र शेखर, नामिती राज्य सरकार

7– श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–"िाक्षक कर्मचारी

8– श्री अनिरूद्ध सिंह, प्रतिनिधि वि"वविद्यालय कोर्ट

9– डॉ0 (श्रीमती)"यामा जो"ाी, सह–आचार्य

10– डॉ0 पंकज ललित, कुलसचिव –सदस्य–सचिव

<u>**मद संख्या–1:**</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की दूसरी आपातकालीन बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य रहे श्री हरी"ा जनारथा, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदे"ा पयटन विकास निगम एवं श्री बम्बर ठाकुर, विधायक का

कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में उनके सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया, और साथ ही श्री चन्द्र"ाखर, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदे"ा राज्य हथकरघा एवं हस्त"िाल्प निगम की प्रदे"ा सरकार के नामिती के रूप में पुनर्नामित होने तथा श्रीमती राज कुमारी का गैर–"िाक्षक कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर स्वागत किया।

उन्होंने परिषद् को यह भी अवगत करवाया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठके, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

- दिनांक 24 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के गणित विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 24 मार्च, 2017 को ही हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जव प्रौद्योगिकी दिवस समारोह आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 27 मार्च, 2017 को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में प्रो. वाचस्पति उपाध्याय स्मारक व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 28 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

- दिनांक 28 स 30 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के संगीत एवं हिन्दी विभाग के संयुक्त तत्वावधान मे त्रिदिवसीय संगीत साहित्य संगम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सात्विक वीणा के आविष्कारक सलिल भट्ट तथा पद्मश्री गोता चन्द्रन भरतनाट्यम नृत्य की वि"व विख्यात नृत्यांगना ने अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

- दिनांक 29 मार्च, 2017 को वि"वविद्यालय के विदे"ी भाषा विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य"ााला का आयोजन किया गया। इस कार्य"ााला में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को वि"वविद्यालय मॉडल स्कूल के लिए चिन्हित भूमि व गैर–f"ाक्षक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया गया।

इसके उपरांत उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे बैठक में आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2:</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय हिमाचल प्रदे"ा प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No.5340/2016 शीर्षक श्रीमती अंजना चौहान बनाम हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय व अन्य प्रकरण में पारित आदे"ा की अनुपालना बारे।

......

बैठक में कुलसचिव द्वारा जानकारी दी गई कि हि.प्र. वि"वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या Rectt.-1/2014 दिनांक 08.09.2014 के प्रत्युतर में विभिन्न विषयों मे f"ाक्षकों की भर्ती हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार वर्ष 2015–16 में आयोजित किए गए थे जिनकी सिफारि"ों कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बैठक दिनांक 23.09.2016 में अनुमोदित की गई थी, जबकि सहायक आचार्य, समाज"ाास्त्र विभाग, स्नातकोतर कन्द्र तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती f"ाक्षा एंव मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि"वविद्यालय f"ामला–5 के पदों हेतु आयोजित साक्षात्कार दिनांक 06.08.2015 की सिफारि"ों O.A. No. 2525 of 2015 शीर्षक डा. सविता ठाकुर जो"ाी बनाम हि.प्र. वि"वविद्यालय प्रकरण के न्यायाधीन होने के कारण कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका निपटारा दिनांक 30.09.2016 को किया जा चुका है जिसका क्रियान्वयन भाग निम्न प्रकार से है:–

XXX XXX XXX

……

5. A perusal of the result(s) goes to show that the applicant has not been successful in any of the three positions.

6. Accordingly, the original application as also pending miscellaneous application(s), if any, are dismissed subject to all just expections.

XXX XXX XXX

माननीय प"ाासनिक न्यायाधिकरण, f"ामला द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित आदे"ा की प्रति **<u>अनुलग्नक–क</u>** पर उपलब्ध है। सहायक आचार्य, समाज"ाास्त्र

विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती ि"ाक्षा एंव मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि"वविद्यालय ि"ामला–5 के पद का परिणाम घोषित करने के लिए एक अन्य न्यायालय प्रकरण O.A. No. 5340/2016 शीर्षक श्रीमती अंजना चौहान बनाम हि.प्र. वि"वविद्यालय व अन्य माननीय हिमाचल प्रदे"ा प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण में दायर किया गया था जिसमें दिनांक 27.03.2017 को प्रकरण का निपटारा करते हुए अंतिम निर्णय पारित किया गया है जिसका क्रियान्वयन भाग निम्न प्रकार से हैः–

XXX XXX XXX

7. *In view of the above, the original application is disposed of with a direction to the respondents/ competent authority to declare the result of the applicant for the post of Assistant Professor (Sociology) in the International Centre for Distance Education and Open Learning (ICDEOL) in the respondent-University in accordance with rules/ her eligibility for the post as early as possible, but latest by 30th April, 2017.*

XXX XXX XXX

माननीय प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण, ि"ामला द्वारा दिनांक 27.03.2017 को पारित आदे"ा की प्रति **अनुलग्नक–ख** पर उपलब्ध है। माननीय हि.प्र. प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण, ि"ामला द्वारा दिनांक 27.03.2017 को पारित आदे"ा की अनुपालना में आवेदक (श्रीमती अंजना चौहान) का, सहायक आचाय, समाज"ाास्त्र विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती ि"ाक्षा एंव मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि"वविद्यालय ि"ामला–5 के पद का परिणाम सक्षम प्राधिकारी, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा यथा"ाीघ्र घोषित किया जाना है

जिसके लिए चयन समिति की सिफारि"ां, जो यथास्थान प्रस्तुत की जाएगी, अनुमोदनार्थ व आगामी आदे"ाार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त सहायक आचार्य (समाज"ाास्त्र), स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र. वि"वविद्यालय, ि"ामला–5 के पद के लिए चयन समिति की

सिफारि”ों दिनांक 06.08.2015 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ व आगामी आदे”ार्थ प्रस्तुत है।

तदोपरान्त सभापति ने सहायक आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती ि”ाक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र वि. ि”ामला–5 के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में प्रस्तुत की। सिफारिशें निम्न प्रकार से हैः–

<u>विज्ञापन संख्या भर्ती–1/2014 दिनांक 08.09.2014</u>

सहायक आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती ि”ाक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र वि. ि”ामला–5

(साक्षात्कार की तिथिः 06.08.2015)

i) डा. (श्रीमती) अंजना ठाकुर पुत्री श्री नरैण सिंह ठाकुर

प्रतीक्षा सूची

i) डा./ श्री जगदेव चन्द शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा
ii) डा./सुश्री मालविका उपाध्याय पुत्र श्री राजे”ा उपाध्याय

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–3</u>: अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती ि”ाक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हिमाचल प्रदे”ा वि”वविद्यालय के हिन्दी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संदर्भ में प्रकरण कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ करने हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि क्योंकि वि”वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में की गई ि”ाक्षकों की नियुक्तियों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदे”ा में Cr. OPC No.03 of 2016 titled Sidhir Saklani Versus R.D. Dhiman & Others में अन्तिम निर्णय नहीं आया है इसलिए यह उचित रहेगा कि वि”वविद्यालय विधिक सलाहकार के माध्यम से माननीय हिमाचल प्र”ाासनिक न्यायाधिकरण से सुश्री अंजना चौहान के मामले में OA No.5340

of 2016 दिनांक 27–3–2017 को दिये गये निर्णय के आलोक में उन प्रत्या"िायों जिनकी चयन समिति की सिफारि"ां पहले ही कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं लेकिन प्रथम नियुक्त प्रत्या"िायों द्वारा कार्यग्रहण न करने कारण उनके स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में अगले प्रत्या"ाी को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु माननीय प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की जाए।

मद संख्या–4: हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, ि"ामला में इतिहास विभाग में डॉ0 विवेक दॉगी द्वारा रिक्त किए गए सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संदर्भ में।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह व्यवस्था दी कि क्योंकि वि"वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में की गई ि"ाक्षकों की नियुक्तियों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदे"ा में Cr. OPC No.03 of 2016 titled Sidhir Saklani Versus R.D. Dhiman & Others में अन्तिम निर्णय नहीं आया है इसलिए यह उचित रहेगा कि वि"वविद्यालय विधिक सलाहकार के माध्यम से माननीय हिमाचल प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण से सुश्री अंजना चौहान के मामले में OA No.5340 of 2016 दिनांक 27–3–2017 को दिये गये निर्णय के आलोक में उन प्रत्या"िायों जिनकी चयन समिति की सिफारि"ां पहले ही कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं लेकिन प्रथम नियुक्त प्रत्या"िायों द्वारा कार्यग्रहण न करने कारण उनके स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में अगले प्रत्या"ाी को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु माननीय प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की जाए।

मद संख्या–5: हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह आयोजित करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने वि"वविद्यालय अध्यादे"ा 41.3(b) के अनुरूप वि"वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह अप्रैल माह में आयोजित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की

यथा–स्थान की गई चर्चाः–

सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि **वि”वविद्यालय कुलगीत** की तरह **हिमाचल गान** भी बनाया जाये ताकि इसे प्रदे”ा के विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों व प्रदे”ा में आयोजित होने वाले मुख्य समारोहों में गाया जा सके, श्री चन्द्र शेखर द्वारा उठाये गये इस मामले का सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने भी समर्थन किया।

जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि वि”वविद्यालय **कुलगीत** की तर्ज पर **हिमाचल गान** तैयार करने के लिए विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग मामले का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें।

सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उनके पिछले कार्यकाल में कर्मचारी हितैषी निर्णय लेने के लिए परिषद् का धन्यवाद ज्ञापित किया और आ”ाा व्यक्त की कि उन्हें उनके इस कार्यकाल में भी कर्मचारी हितैषी निर्णय लेने में कार्यकारिणी परिषद् का सहयोग मिलता रहेगा।

कार्यकारिणी परिषद् ने वि”वविद्यालय अधिनियम 21(1)(xii) 21(1)(xv) के अनुरूप परिषद् में छात्रों एवं सहायक आचार्यों को प्रतिनिधित्व देने के मामले पर भी चर्चा की और निर्णय लिया कि वि”वविद्यालय उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत चुनाव करवाकर छात्र वर्ग एवं वि”वविद्यालय के सहायक आचार्यों का कार्यकारिणी परिषद् में प्रतिनिधित्व सुनि”चत किया जाए।

बैठक में कार्यकारिणी परिषद् ने श्री हरी”ा जनारथा एवं श्री बम्बर ठाकुर द्वारा परिषद् की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनके द्वारा दिये गये सकारात्मक

सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया, और कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में इन सम्माननीय सदस्यों द्वारा अदा की गई भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद् प्रेषित करने का निर्णय लिया।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद् प्रस्ताव के सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –

(आचार्य ए.डी.एन. वाजपेयी)
कुलपति / सभापति